राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास अनुभाग–8)

(दूरभाष 0141–2227229 EMail : pdme2k_rdd@yahoo.com)

क्रमांकः एफ.4(21)ग्रावि/ग्रुप–8/ /वीसी /2018   जयपुर, दिनांक : 31/05/2019

1.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त (राजस्थान)।
2.परियोजना अधिकारी (लेखा), जिला परिषद समस्त (राजस्थान)।
3 अधिशाषी अभियन्ता (अभि.)/योजना प्रभारी, समस्त (राजस्थान)।

विषयः स्पष्टीकरण बाबत ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत समसंख्यक विभागीय आदेश दिनांक 16.05.2019 द्वारा आपको योजनाओं की प्रगति की सूचना प्रमाणित कर भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया था, साथ ही विभागीय पत्र दिनांक 22–23 मई, 2019 के द्वारा विधानसभावार, लोकसभा/राज्यसभा सांसदवार सूचना दिनांक 28 से 31 मई, 2019 राज्य स्तर पर आयोजित बैठक में साथ लाने बाबत निर्देश प्रदान किये गये थे।

इस बैठक से पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारियों का यह दायित्व था कि अपने समस्त स्टाफ के साथ विस्तृत समीक्षा करते हुए, रिकार्ड के अनुसार सूचनाओं को प्रमाणित करने के उपरान्त मुख्यालय को भिजवाते । परियोजना अधिकारी (लेखा) अपने लेखों का मिलान कर सूचनाओं में संशोधन करवाते एवं इसी प्रकार परियोजना अधिकारी (अभियांत्रिकी)/योजना प्रभारी का यह दायित्व था कि IWMS में प्रदर्शित सूचना एवं जिलों के लेखों में उपलब्ध सूचनाओं में समानता रखते हुए सूचना संबंधित लिपिक के रिकार्ड से प्रमाणित कर मुख्यालय मीटिंग के दौरान उपलब्ध करवाते।

परन्तु विगत चार दिनों में जिलों की की गई समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि आपके स्तर पर उक्त निर्देशों को गम्भीरता से नही लिया गया। उक्त कृत्य राज्य सरकार के निर्देशों का उल्लघन एवं राज्यादेशों की अवहेलना दर्शाता है । इस सम्बन्ध में विभागीय निर्देशों को गम्भीरता से नही लिये जाने का कारण स्पष्ट करें।

आपको निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 28–29 मई, 2019 को जिन जिलों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, वे जिलें दिनांक 3 जून, 19 तक/जिन जिलों की समीक्षा बैठक दिनांक 30–31, मई, 19 को आयोजित की गई वे सभी जिले 4 जून, 2019 तक हर हालत में वास्तविक आंकडे विभागीय पत्र दिनांक 16.05.2019 एवं विभागीय आदेश दिनांक 22–23 मई, 2019 के अनुसार परियोजना अधिकारी (लेखा) के साथ भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

किसी भी स्थिति में यदि सूचनाएं प्राप्त नही होती है तो इसे गम्भीरता से लिया जावेगा। इस हेतु आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

(राजेश्वर सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :
1. आयुक्त, महात्मा गॉधी नरेगा योजना, राजस्थान
2. जिला कलक्टर, समस्त (राजस्थान)
3. विशिष्ठ शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग,
4. परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव (एस.ए.पी) ग्रा.वि

31/05/19

परियोजना निदेशक एवं
पदेन उप सचिव (मो एवं मू)